न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :— श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
विविध प्रा0पत्र सं0 1/18
फैसला दिनांक:—22.06..2018

1. हीरा पुत्र मोघा
2. नन्दा पुत्र काना
3. मोहन पुत्र काना
4. बालू पुत्र छोटू
5. जगदीश पुत्र छोटू

समस्त जाति जाट नि0 सामलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र गणेश
2. झमकू पत्नि भोलू
3. हनुमान पुत्र भोलू
4. गोविन्द पुत्र भोलू
5. जगदीश पुत्र भोलू
6. गोठीदेवी पुत्र भोलू
7. रामपाल पुत्र किशन
8. राजेश पुत्र लालचन्द
9. रामावतार पुत्र लालचन्द
10. प्रेमदेवी पुत्री लालचन्द
11. नोसर पत्नि लालचन्द
12. हनुमान पुत्र मोघा
13. रामकरण पुत्र भूरा
14. लक्ष्मण पुत्र भूरा
15. घीसीदेवी पुत्री भूरा
16. पूसीदेवी पुत्री भूरा
17. कोकलदेवी पुत्री भूरा
18. नानू पुत्र चोखा
19. धन्ना पुत्र चोखा
20. बालूराम पुत्र ज्ञाना
21. बोदूराम पुत्र ज्ञाना
22. जीवनराम पुत्र ज्ञाना

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

23. श्रीनारायण पुत्र झाना
24. गणेश पुत्र झाना
25. सोनी पुत्री झाना
26. मीरा पुत्री झाना
27. राजा पुत्री झाना
28. भूरीदेवी पत्नि झाना
29. लाडा पुत्री हीरा
30. नानची पुत्री हीरा
31. पोखर पुत्र चौथू
32. लाला पुत्र चौथू
33. रामकरण पुत्र चौथू
34. रामेश्वर पुत्र चौथू
35. बन्ना पुत्र भूरा
36. छीतर पुत्र झूंथा

समस्त जाति जाट नि0 सामलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र 251 ए रा0टी0ऐक्ट</u>

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खं0नं0 53 रकबा रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा कला प0ह0 शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है तथा प्रार्थीगण आयेदिन अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु परेशान होता है तथा अपनी उक्त आराजीयात पर काश्त हेतु टेक्ट्रर व अन्य साधन लाने ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिस कारण से प्रार्थीगा आयेदिन हैरान व परेशान रहता है तथा खं0नं0 57 रकबा 17 विस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है इसलिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र उत्तर से दक्षिणी मार्क ए से बी खं0नं0 57 रकबा 17 बिस्वा में से 25 फुट चौड़े रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकित करने हेतु पेश किया है प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 35 व 36 की ओर से प्रभूदयाल वर्मा ने वकालतनामा, जवाब व दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये। दिनांक 25.01.18 को पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 35 व 36 द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बेचान पत्र का अवलोकन किया तो प्रस्तुत बेचान पत्र से जाहिर होता है कि आराजी खं0नं0 57 के पूर्व खातेदार जो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 34 के बुजुर्ग है ने सम्पूर्ण रकबा जरिये बेचान पत्र दिनांक 23.09.93 को अप्रार्थी सं0 35 व 36 को विक्रय कर दिया है लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला गया है अप्रार्थी सं0 35 व 36 ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने में कोई आपति नहीं की है तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि बेचान पत्र दिनांक 23.09.93 के आधार पर क्रेतागण के नाम नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही कर प्रार्थीगण द्वारा खं0नं0 57 मे से चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट जो गिरदावर स्तर से कम की न हो तैयार करने के आदेश दिये गये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ~~मित्तोदिया~~ शार्दूलपुरा में पेश हुयी। तहसीलदार फुलेरा ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। मजमेंआम में पक्षकारों को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गयी एंव रास्तें की मौका रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार फुलेरा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 53 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा कला प0ह0 शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है एंव उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 57 रकबा 17 बिस्वा जो कि अप्रार्थीगण की काश्त की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खं0नं0 57 के उत्तर से दक्षिण पर से 25 फुट चौड़ा रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी व सुलभ रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 57 के उत्तर से दक्षिण पर से

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिया जाना न्यायोचित पाता हूँ इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की खं0नं0 53 रकबा रकबा 5 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा कला प0ह0 शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 57 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा कला तह0 फुलेरा के उत्तर से दक्षिण पर मार्क ए से बी 20 (बीस) फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है इसलिए तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट दिनांक 22.06.87 के मुताबिक डी0एल0सी0 की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से जमा कर रास्तें को राजस्व रिकोर्ड व नक्शें में दर्ज करें तथा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जमा राशि का उनके रिकोर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार भुगतान करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के संलग्न नक्शा निर्णय का अंग रहेगा। इस बाबत तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner